खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 443/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम दिनेश चौधरी मैसर्स चन्द्रयानी दूध डेयरी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला. पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.
खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 443/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/572

सायल :–		गैर सायल :–
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली	बनाम	दिनेश चौधरी पुत्र वरदाराम जाति चौधरी निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली राज. मैसर्स चन्द्रयानी दूध डेयरी ओवरब्रिज के नीचे खालसा पेट्रोल पम्प के सामने फालना पाली (दुकान मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011
उपस्थिति :– 1. गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री विजयराज चौधरी

–:निर्णय:–

दिनांक: 19.12.2024

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध अप्रार्थी दिनांक 07.10.2024 को दर्ज किया गया है। सायल भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 20.05.2024 को दौराने गश्त 3.00 पी.एम. पर मैसर्स चन्द्रयानी दूध डेयरी ओवरब्रिज के नीचे खालसा पेट्रोल पम्प के सामने फालना का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल मैसर्स चन्द्रयानी दूध डेयरी पर एक फ्रीज में लगभग 50 लीटर मिक्स दूध आमजन को विक्रय किये जाने हेतु रखा हुआ था। मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए फॉर्म नम्बर 5A भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर साथ आए ओमप्रकाश प्रजापत कार्यालय हाजा को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाए एवं प्रपत्र की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए की एक प्रति मालिक दिनेश को देकर यह सूचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया है।

मैसर्स चन्द्रयानी दूध डेयरी फर्म पर फ्रिज में रखे मिक्स दूध को अच्छी तरह से हिलाकर एक स्पकर में 02 किलों वास्ते जांच हेतु क्रय कर जिसकी कीमत विक्रेता को 120/– रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की गई। उक्त मिक्स दूध को चार अलग–अलग कंटेनर में बराबर मात्रा में भरकर उसमें फोरमेलिन की 40–40 बुन्द डालकर उसपर नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक कंटेनर पर चिपकाई। प्रत्येक नमूने पर अभिहित अधिकारी एवं मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपर स्लीप आर–2338 लिखकर नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक नमूने को चारों तरफ से नियमानुसार मजबूत एवं मोटे धागे से बांधा गया। प्रत्येक नमूनें पर चार चार ऊपर नीचें दाये बाएं चपडी लगाकर ब्रास सील से सील बंद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 443/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011 उनवान भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम दिनेश चौधरी मैसर्स चन्द्रयानी दूध डेयरी

किया। चारों सीलबंद पर नमूना विवरण अंकित कर प्रति नमूनों पर गैर सायल व गवाहों के हस्ताक्षर रेपरिंग पेपर व पेपर स्लीप क्रॉस करते हुए करवाए व मैंने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर ही गैर सायल व गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार कर मौके पर ही गैर सायल व गवाहों को पढकर सुनाई तथा उनके द्वारा मंजूर किये जाने पर गैर सायल व गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर मैंने हस्ताक्षर कियें।

नमूना विवरण आर–2338 जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में भिजवाने हेतु फॉर्म नम्बर 6 पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में उपयोग किया गया था अंकित कर तैयार किया। एक प्रति नमूनें के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्रास सील से किया जिसका प्रयोग इन चारों नमूनों को सील बंद करने में किया गया एवं आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया। आउटर कवर सील नमूना एवं सीलबंद नमूना किशोर पाण्डें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 20.05.2024 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूनों के शेष दिवितय तृतीय एवं चतुर्थ भाग मय फॉर्म नम्बर 6 की एक एक प्रति आउटर कवर में लपेटते हुए ब्रास सील से सील कर सील्ड अवस्था में अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को 27.12.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त मिक्स दूध नमूना संख्या आर–2338 के संबंध में प्रदत्त रिपोर्ट एल.एस. 796/एक्ट/2024/819 दिनांक 03.06.2024 की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उक्त **मिक्स दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। नमूना सख्या आर–2338 अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i) Food Safety and Standards Act-2006 के तहत अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का पाया गया। जांच की प्रति जरिये नोटीस श्री दिनेश चौधरी पुत्र श्री वरदाराम मैसर्स चन्द्रयानी दूध डेयरी ओवरब्रिज के नीचे खालसा पेट्रोल पम्प के सामने फालना पाली को जरिये डाक से प्रेषित कर सूचना दी गई कि उक्त नमूने को पुनः जांच करवाना चाहते हो तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर–भीतर अभिहित अधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हो। निर्धारित अवधि में उक्त फर्म द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई। गैरसायल द्वारा अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का मिक्स दूध विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 तहत दण्डनीय है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। नियत दिनांक को गैरसायल मय अधिवक्ता उपस्थित हुए प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर ने नमूना संख्या आर–2338 के संबंध में प्रदत्त रिपोर्ट एल.एस. 796/एक्ट/2024/819 दिनांक 03.06.2024 की जांच रिपोर्ट के FSSAI Manuals of methods of analysis of Foods, 2016. Milk and Milk Products. में Milk fat के Test में Milk Fat 4.00% पाया गया जबकि निर्धारित मानक अनुसार 4.5 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए था। नमूना संख्या आर–2338 अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i)Food Safety and Standards Act-2006 के तहत अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का पाया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। गैरसायल द्वारा Sub- Standard प्रकृति

अति. जिला कलक्टर
पाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 443/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम दिनेश चौधरी मैसर्स चन्द्रयानी दूध डेयरी

की खाद्य सामग्री का विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरुप सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल द्वारा Sub- Standard प्रकृति का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 5,000/—अक्षरे पांच हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि सायल व गैरसायल को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.443/2024/2024/1630-32 दिनांक : 20/12/24

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर
3. श्री भूराराम गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली